

16/11/2024

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील अनुष।
वादी वकील को बार-बार आवाज लगवाई
गई। लेकिन कोई अपात्मीय नहीं। वादी
वकील को शेष परिवारीगणों के हलवाई
हेतु पूर्व में अनेक बार-बार दिये
जा चुके हैं। अब और आवसर दिये
जाना उचित नहीं।

अतः हावा अहम तकमील अहम
पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली कुलुल शुमार होकर
नम्बर पे उम ही जाकर हाकिम
दफ्तर हो।



उप खण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर